



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

सुशील पखीडे

सहायक कुलसचिव / कार्यकारी कुलसचिव

Sushil Pakhide

Assistant Registrar/ Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-255707

फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-63 / 2022

दिनांक : 06.05.2022

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयादेश क्रमांक 005 / 2013 / ARC/2017 / 344 दिनांक 26.08.2017 के क्रम में **रैगिंग विरोधी दल (Anti Ragging Squad)** का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

- | | |
|---|----------------|
| 1. कुलानुशासक | : नोडल अधिकारी |
| 2. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (Chief Warden) | : सदस्य |
| 3. प्रो. कृपाशंकर चौबे, प्रोफेसर, जनसंचार विभाग | : सदस्य |
| 4. डॉ. सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग | : सदस्य |
| 5. डॉ. गीता शाहू, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग | : सदस्य |
| 6. श्री अनिकेत आंबेकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग | : सदस्य |
| 7. डॉ. के. बालराजू, सह-कुलानुशासक | : सदस्य सचिव |

रैगिंग विरोधी दल 'उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 के विनियम, प्रावधान और रैगिंग से संबंधित कानून के अनुपालन में कार्य करेगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sushil
6/5/22
(कुलसचिव)

प्रति (ईमेल द्वारा) : सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख
4. कुलानुशासक
5. सभी छात्रावास अधीक्षक
6. वित्त अधिकारी
7. विश्वविद्यालय वेबसाइट
- 8- संबंधित पत्रावली